

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:-

7 AUG 2018

श्री अशोक कुमार योगी,  
उपायुक्त,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. **itcell.dop@rajasthan.gov.in** पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।

( अरविन्द कुमार पोसवाल )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जिला कलेक्टर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अशोक कुमार योगी, आरएस की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:-


7 AUG 2018

श्री हरिसिंह लंबोरा,  
उपखंड अधिकारी,  
नावां (नागौर)।

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, नावां (नागौर) से उपखंड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर) के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. **itcell.dop@rajasthan.gov.in** पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।

  
( अरविन्द कुमार पोसवाल )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, नागौर/जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री हरिसिंह लंबोरा, आरएस की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

  
संयुक्त शासन सचिव

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:- 7 AUG 2018

श्री जयसिंह-II,  
उपखंड अधिकारी,  
रूपवास (भरतपुर)।

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) से उपखंड अधिकारी, कटूमर (अलवर) के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. [itcell.dop@rajasthan.gov.in](mailto:itcell.dop@rajasthan.gov.in) पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।

( अरविन्द कुमार पोसवाल )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, भरतपुर/जिला कलक्टर, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि श्री हरिसिंह लंबोरा, आरएएस की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:-

7 AUG 2018

श्री महेन्द्र सिंह यादव,  
उपखंड अधिकारी,  
पहाड़ी (भरतपुर)।

विषय:- नवीन पद पर कार्यग्रहण करने बाबत नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन उपखंड अधिकारी,पहाड़ी (भरतपुर) से उपखंड अधिकारी, किशनगढ़बास (अलवर) के पद पर किया गया था। आपने आदिनांक तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा दूरभाष पर आपसे बार-बार संपर्क किये जाने एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी आपने राज्यादेशों की पालना नहीं की है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक विभाग की मेल आई. डी. **itcell.dop@rajasthan.gov.in** पर भिजवावें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।

( अरविन्द कुमार पोसवाल )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- जिला कलक्टर, भरतपुर/जिला कलक्टर, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि श्री हरिसिंह लंबोरा, आरएएस की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव